हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग–आपदा प्रबन्धन

संख्या :रै०(डी०एम०सी)(एफ)–2–1/2018(Norms) दिनांक, 28–03–2022 शिमला–2

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, दिनांक 20 मार्च 2022 को मन्त्रीमण्डल की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश आपदा एवं राहत नियमावली, 2012 में निम्नलिखित मद शामिल किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. **"मधु मक्खियों (Honey Bees), रंगड़ (Hornet), और ततैया (Wasps) के काटने से मौत" ।**
2. **"दुर्घटनावश पानी में डूबने से मौत"।**
3. **वाहन दुर्घटना के कारण घायल/मृत्यु में (जल, थल व वायु) तीनो तरह के यातायात वाहन सम्मलित करना।**

उपरोक्त वर्णित आपदाओं के कारण मृत/घायलों को भी हिमाचल प्रदेश आपदा एवं राहत नियमावली, 2012 के अनुसार राहत राशि प्रदान की जाएगी। यह मद दिनांक 28–03–2022 से मान्य होगें व प्रदेश विशिष्ट आपदा (State Specific Disaster) मद में सम्मलित किए जाएगें ।

उपरोक्त मदें शामिल करने के पश्चात निम्नलिखित आपदाएं हिमाचल प्रदेश आपदा एवं राहत नियमावली, 2012 के अधीन मृत या घायल होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधार्रत मापदडों के अनुसार राहत राशि हेतु मान्य होगें। जिनका विश्लेषण निम्नलिखित है :–

(क) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा SDRF/NDRF मानकों में निर्धारित आपदाएंः–

पत्र संख्याः–(33-03/2021-NDM-I दिनांक 12 जनवरी, 2022 के पैरा 3 (1) अनुसार

1. सूखा (Drought).
2. भूकम्प (Earthquake)
3. आग के कारण क्षति (Fire)
4. बाढ़ (Flood)
5. ओलावृष्टि (Hailstorm)
6. भू–स्खलन (Landslide)
7. हिमस्खलन/ हिमखंड (Snow avalanches/ Glaciers)

8. बादल फटना (Cloud bursts)
9. कीट (Pest Attack)
10 ठण्ड एवं शीत लहर (Frost & cold wave)
11 सुनामीं (Tsunami)
12 चक्रवात (Cyclone)

(ख) **प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित राज्य विशिष्ट आपदाओं के अधीन सम्मलित मदः–**

(हिमाचल प्रदेश आपदा एवं राहत नियमावली, 2012 व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 11 मई, 2016 व 20 मार्च, 2022 को मन्त्री मण्डल की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार आपदा राहत हेतु सम्मलित किया गया है।)

1. वाहन दुर्घटना (जल, थल व वायु तीनों तरह के यातायात वाहन)
2. नाव दुर्घटना (Boat Mishap)
3. विषैला भोजन (Food Poisoning)
4. आसमानी बिजली का गिरना (Lightening)
5. पेड़ या चटान से गिरना (Fall from tree or steep-rock)
6. गैर–विस्फोटक (Non-explosive burst)
7. सर्पदंश (Snake-Bite)
8. भूमि तूफान (Land Storm)
9. आवारा/पालतु पशु का प्रहार (Hit by stray/pet animal)
10. कुत्ते का काटना (Dog-bite)
11. बिजली का करंट (Electrocution)
12. अत्यधिक बारिश (Excessive Rain)
13. महामारी फैलना (Epidemics)
14. जमीन धंसना (Sinking of Land)
15. हिमखंड (Glacier)
16. मधु मक्खियों (Honey Bees), रंगड़ (Hornet), और ततैया (Wasps) का काटना
17. दुर्घटनावश पानी में डूबना (Accidental Drowning)

उपरोक्त वर्णित प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्यु/घायल होने पर हिमाचल प्रदेश आपदा एवं राहत नियमावली, 2012 (Annexure F), में निर्धारित वर्तमान मापदण्डों के अनुसार राहत राशि निम्न प्रकार से है :–

1.	मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि	मु0 4.00 लाख रूपये
2.	40% से 60% अपंग होने पर	मु0 59,100 रूपये
3.	60% से अधिक अपंग होने पर	मु0 2.00 लाख रूपये
4.	गम्भीर रूप से घायल होने व एक सप्ताह से अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती	अधिकतम मु0 15,000/–प्रति व्यक्ति

	होने पर	
5.	घायल होने व एक सप्ताह से कम दिनों तक अस्पताल में भर्ती होने पर	अधिकतम मु0 5,000/–प्रति व्यक्ति

आदेशानुसार,

(ओंकार चन्द शर्मा)
प्रधान सचिव (राजस्व आपदा प्रबन्धन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकनः यथोपरि दिनांक 28/03/2022.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त मण्डलायुक्त हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश
5. समस्त जिलाधीश हिमाचल प्रदेश ।
6. उप सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार। मन्त्री मण्डल की बैठक दिनांक 20–03–2022 की मद संख्या 07 के सदंर्भ में सूचनार्थ ।
7. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु ।

(सुदेश कुमार मोख्टा)
विशेष सचिव (राजस्व आपदा प्रबन्धन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।